82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 525–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–10–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 981/अपील/2011–12.

रामप्रसाद उर्फ राजेश कुशवाहा तनय
स्व0 रामानुज कुशवाहा
निवासी ग्राम नैना हाल निवासी ग्राम बदखर
तहसील रघुराजनगर जिला सतना, म0प्र0
——— आवेदक

विरूद्ध

1. मुस. शान्ती देवी पत्नी स्व0 रामलखन कुशवाहा
2. श्री अनिल कुशवाहा
3. श्री अमित कुशवाहा
   राममिलन पिता रामाधार कुशवाहा मृतक नाम विलोपित
4. रामसिया मृतक द्वारा वारिसान
   अ– रामसनेही
   ब– रामनारायण
   स– रामकरण
   द– रामनिवास
   य– राजललन
   र– रामकिशोर
   अ से र तक के पिता स्व0 रामसिया कुशवाहा
5. रामाश्रय पिता राममिलन कुशवाहा
   सभी निवासी ग्राम नैना तहसील रघुराजनगर
   जिला सतना म0प्र0
——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29 जून 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामप्रसाद तथा अनावेदक राममिलन व रामसिया के द्वारा ग्राम नैना की प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा आवेदन तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 08–3–06 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 3 के द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर के आदेश दिनांक 08–3–2006 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–5–2012 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03–10–2015 के द्वारा अपील स्वीकार करके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि राममिलन ने स्वय तहसील न्यायालय में आवेदक के साथ बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। बटवारा पुल्ली पर राममिलन, रामसिया आवेदक, अनावेदक रामनिवास एवं अन्य लोगों के हस्ताक्षर है तथा उसी फर्द बटवारा पुल्ली के आधार पर तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया है। यह भी तर्क दिया कि भूमिस्वामि राममिलन की सहमति से बटवारा किया था। राममिलन ने जीवनकाल में न कोई आपत्ति की और न ही उक्त बटवारे आदेश के अपील की। राममिलन के जीवनकाल में उनके वारिसों को अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं था इसके बावजूद भी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अील प्रस्तुत की जो खारिज हुई। अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि संपत्ति चाहे पैत्रिक हो या स्वअर्जित पिता के जीवनकाल में

पुत्र को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपर आयुक्त न्यायालय में अपील के विचाराधीन होने के दौरान ही राममिलन की मृत्यु के पश्चात रामलिन की पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। आवेदक को अपर आयुक्त के समक्ष किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंटवारे की मांग की थी तथा तहसीलदार के समक्ष दस्तावेज एवं पटवारी प्रतिवेदन व फर्द बटनवारा पुल्ली में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि आवेदित आराजी के भूमिस्वामी राममिलन तनय रामाधार काछी हैं। संहिता की धारा के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मात्र सह भूमिस्वामी एवं सहखातेदार ही धारा 178 के आधार पर बंटवारा कराने के अधिकार रखते हैं। इस प्रकरण में यह प्रमाणित है कि आवेदक आवेदित आराजी भूमि का भूमि स्वामी नहीं था तथा आवेदक के पिता भी आवेदित आराजी के भूमिस्वामी नहीं है। आवेदक राममिलन का पुत्र नहीं है बल्कि अपने आप को राममिलन का भतीजा बताता है। यह भी तर्क दिया कि रामाधार की मृत्यु के बाद नामान्तरण राममिलन एवं रामसिया के नाम पर हुआ इस बात की स्वीकारोक्ति आवेदक द्वारा भी तहसील न्यायालय में की गई है किन्तु राममिलन और रामसिया के नाम हुये नामांतरण को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है और यदि रामानुज का पुत्र होता तो रामानुज की मृत्यु के बाद उसके नाम जरूर वारसाना नामान्तरण होता जिससे यह बात स्पष्ट है कि रामानुज का पुत्र कोई पुत्र नहीं है। संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि विभाजन मात्र सहखातेदारों के मध्य होगा यदि कोई पक्षकार सहखातेदार नहीं है तो किसी भी पक्षकार का हक विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वत्व का विनिश्चयन करने में त्रुटि की है जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में विधिअनुसार कार्यवाही

की गई है। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा मात्र इस आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया है कि खातेदार बंटवारा कराने के लिए सहमत हैं जब संहिता में ऐसा बटवारा करने का प्रावधान हीं नहीं है। किसी पक्षकार के कहने या सहमति मात्र से उसका हक त्याग नहीं माना जावेगा उसके लिए विधिवत रजिस्टर्ड दस्तावेज होना अनिवार्य है। स्वत्व के संबंध में संबंधित पक्षकार को सक्षम न्यायालय व्यहवार न्यायालय से हक का विनिश्चयन कराना चाहिए था। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। रामप्रसाद तथा अनावेदक राममिलन व रामसिया के द्वारा तहसील न्यायालय संहिता की धारा 178 का तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ खसरा वर्ष 2004–05 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी राममिलन थे। तहसीलदार द्वारा मात्र इस आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया है कि खातेदार बंटवारा कराने के लिए सहमत हैं जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178(1) के अनुसार "यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया है, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।"

आवेदक रामप्रसाद प्रश्नाधीन भूमि का सहखातेदार नहीं था जिसके कारण वह बटवारा कराने का अधिकारी नहीं था। इसलिए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत बटवारा आवेदन ही विधि विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से प्रचलन योग्य नहीं था। जहां तक वारिसों का प्रश्न है राममिलन के दो पुत्र रामलखन व रामाश्रय थे जिनका प्रश्नाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है। जैसा कि अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि राममिलन अनपढ़ व्यक्ति थे जिसका लाभ उठाकर तहसीलदार के समक्ष रामप्रसाद के साथ संयुक्त रूप से बटवारा आवेदन पेश किया गया। 2010 एम0पी0एल0जे0 पेज 70 स्नेह गुप्ता विरूद्ध देवसरूप में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "हक–

संपत्ति का – कानूनी उपबंध के अनुसार अवधारित करना होगा– पक्षकार द्वारा संपत्ति में अधिकार का त्याग–रजिस्टर्ड लिखत द्वारा किया जाना होगा।"

इसी प्रकार 2005 आर एन 205 सुन्दर लाल लोधी तथा अन्य विरूद्ध रामबहोरी में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है – "धारा 178– विभाजन का मामला– किसी भी पक्षकार का हक विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता–हक विनिश्चित किया गया– आदेश न केवल अवैध है अपितु अधिकारितारहित भी है।"

स्पष्ट है कि राममिलन को यदि अपने भूमिस्वामी स्वत्व का किसी प्रकार हक त्याग करना था तो उन्हें विधिवत रजिस्टर्ड हक त्याग संपादित कर बटवारा हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था। आवेदक का यदि प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व निहित था तो तत्समय सक्षम न्यायालय व्यवहार हक का विनिश्चयन करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा विधि के विपरीत पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया था इसलिए अपर आयुक्त द्वारा दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03–10–2015 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर